

24/2/2022

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपन। स्वगत
अपील अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत मूल वादपत्र के साथ
प्रस्तुत अर्थाई-निषेधाज्ञा सा.पत्र में पारित आदेश के विरुद्ध
प्रस्तुत की गई। उभयपक्षकारान् अधिवक्तागण द्वारा अर्था
प्राप्त गया कि अधीनस्थ न्यायालय में जैरकार मूल

वार पत्र निर्मित हो चुका है। तथा उक्त निर्णय कठिनी के विरुद्ध अपील भी प्रस्तुत हो चुकी है।

अतः अधीनस्थ आयाणम में जॉरजर मूल पाद-पत्र निर्मित हो जाने से हलगत अपील अर्पित व अपोषणीय हो चुकी है। अतः अपील इवी स्तर पर स्वरिप्त हो जाती है। पत्रावली केवल सुमाट होकर वाखिल दफ्तर हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

सेवामें.

अपील